	कार्यवाही
7/8/24	अन्य पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त ......है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 21/8/24 को पेश हो। (रीडर)
21/8/24	अन्य पक्ष उपस्थित / अभिभाषक संघ ने न्यायिक कार्य स्थगित रखा / P.O साहब अन्य प्रशासनिक कार्य में व्यस्त ......है। पत्रावली गत आदेशानुसार दि. 30/8/24 को पेश हो। (रीडर)
30/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उपस्थित। प्रकरण में प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का वकील वादी द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपत्ति पेश नहीं कर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दावा अंतिम डिक्री किया जाने हेतु निवेदन किया। सुना गया। पत्रावली व कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। चूंकि कुर्रेजात रिपोर्ट सही प्रतीत होने से एवं वकील वादी उक्त कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमत होने से दावा अंतिम डिक्री किया जाकर डिक्री अलग से लिखाया जाकर सुनाया गया। डिक्री शामिल पत्रावली हो। पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो व दर्ज रजिस्टर नंबर से कम हो। [signature] सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट-ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :- श्री अशोक कुमार, आर ए एस

वाद संख्या :- 99 / 2023

शीर्षक

1. भागीरथ पूनिया पुत्र मोतूराम पूनिया जाति जाट उम्र 76 वर्ष निवासी ए 51, हनुमान नगर खातीपुरा, जयपुर।

—वादी

बनाम

1. गुरमी देवी पुत्री समदाराम
2. पतासी पुत्री समदाराम
3. संज्या पत्नी बाबूलाल
4. मूंगीदेवी पुत्री समदाराम
5. मन्नी देवी पुत्री समदाराम
6. सजना देवी पुत्री समदाराम
7. समरती देवी पत्नी समदाराम

   समस्त जाति गुर्जर निवासी टोडी तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर।

8. राजस्थान सरकार (भू-धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

— प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 30/8/24

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि यह कि ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला, भू-अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्थित आराजी कृषि भूमि हाल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के हाल खाता संख्या 192 के खसरा नम्बर 5157 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, सम्पूर्ण में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादी संख्या 1 गुरमादेवी का हिस्सा 1/14 प्रतिवादी संख्या 2 पतासी का हिस्सा 1/14, प्रतिवादी संख्या 3 बाबूलाल का हिस्सा 1/14, प्रतिवादी संख्या 4 मूंगीदेवी का हिस्स 1/14, प्रतिवादी संख्या 5 मन्नी देवी का हिस्सा 1/14, प्रतिवादी संख्या 6 सजनादेवी का हिस्सा 1/14, प्रतिवादी संख्या 7 समरती देवी का हिस्सा 1/14, के अनुसार रिकार्डेड काबिज खातेदार काश्तकार हैं तथा जिस पर वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 से 7 मौके पर मनबट एवं आपसी बाहमी बंटवारा के अनुसार काबिज काश्त होकर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं।यह कि उक्त वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित भूमि

सहायक कलक्टर

विवादग्रस्त हैं। जिसे वाद पत्र के अन्य मदो में विवादित भूमि से सम्बोधित किया जायेगा।

यह कि मद नम्बर 1 में वर्णित विवादित भूमि हिस्सा 1/2 को वादी ने जरिये रजिर्ड विकय पत्र पूर्व काबिज रेकोर्डेड खातेदार काश्तकार जडाव देवी पत्नी कन्हैयालाल, रामजीलाल, रामकरण, गोकुल पिता कन्हैयालाल, काली देवी, कोशल्या देवी पुत्रीया कन्हैयालाल जाति का गुर्जर से उनके संम्पूर्ण 1/2 हिस्से ते वर्ष 2012 में ने संम्पूर्ण प्रतिफल अदा कर कय किया गया था जिसके आधार पर जरिये नामान्तकरण 275 दिनांक 20.06.2012 द्वारा राजस्व रेकोड में अंकन किया गया तथा जिस पर अपने हिस्से अनुसार कय करने के उक्त दिनांक से वादी काबिज होकर आज तक निरन्तर उपयोग उपभोग करता आ रहा हैं। यह कि उक्त वादग्रस्त भूमि पर वादी व प्रतिवादीगण संयुक्त रूप से मनबंट के आधार पर अपने-अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त होकर निरन्तर उपयोग उपभोग करते आ रहे हैं।

यह कि प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 7 के तालूकात कुछ असामाजिक तत्वों व भू-माफिया किस्म के लोगो से हैं तथा वादी वाद पत्र के मद नम्बर 1 में वर्णित उक्त भूमि के अविभाजित हिस्सा 1/2 पर मनबंट के आधार पर काबिज काश्त हैं, व निरन्तर काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। लेकिन प्रतिवादीगण वादग्रस्त भूमि से जबरन बेदखल कर विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा कर बैचान करने पर आमादा हैं। जबकि आज तक भूमि का विधिक विभाजन नहीं हुआ है। जिन्हें कानूनन बिना तकासमा कराये भूमि के विशिष्ट भू-भाग पर कब्जा करने व बैचान करने का वैधानिक अधिकार नहीं हैं, तथा कानूनन अविभाजित भूमि पर प्रत्येक काश्तकार का हर एक इंच पर हक व हिस्सा व अधिकार माना जाता है, लेकिन प्रतिवादीगण वादी के कब्जे कारत की भूमि से ताकत व संख्या बल के जौर पर उनके कब्जे से बेदखल कर भूमि को हडपना चाहते है तथा वादी की भूमि को ओने पोने दामो मे खरीदना चाहते हैं। जिसका उन्हें भूमि के विधिक विभाजन के बिना कोई वैधानिक अधिकार प्राप्त नहीं हैं। यह कि दिनांक 28/07/2023 को वादी अपने हिस्से की भूमि पर फसल को देखने गया तब प्रतिवादी संख्या कुछ अजनबी लोगो के साथ विवादित भूमि पर आये और मुझे मेरे हिस्से की भूमि को बिना विभाजन करवाये बैचान करने की धमकी दी व आयंदा इस पर काश्त करने से मना कर दिया जब वादी ने इसका विरोध किया तो प्रतिवादीगण ने कहा कि हम तो उक्त भूमि को भू-माफियाओं को बैचान करेगें व खुर्द बुर्द कर तुम्हें बेदखल करके रहेगें, तथा तू तो अकेला है और हमारे कई अधिकारियों व भू-माफियाओं से तालूकत है तथा प्रतिवादीगण अपनी ताकत के बल पर सहकश्तकारान् की अविभाजित भूमि के विशिष्ट भू-भाग पर मनचाहे तरीके से कब्जा

सहायक कलक्टर

करने व खुर्द बुर्द करने बैचान व बेदखल करने पर आमादा है तथा वादी को बिना विधिक विभाजन करवाये भूमि पर काश्त व उपयोग उपभोग करने में अवरोध बाधा उत्पन्न की जा रही है तथा अब वादी को संयुक्त खाते के रूप में काश्त करना असंभव हो गया है। इसलिए वादी को अपने हिस्से व कब्जे की सुरक्षा हेतु यह दावा बाबत् भूमि विभाजन एवं स्थाई निषेधाज्ञा विरूध्द प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है।

अन्त में निवेदन किया कि मद संख्या 1 में ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला, भू–अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर स्थित आराजी कृषि भूमि हाल जमाबन्दी संवत 2074 से 2077 के हाल खाता संख्या 192 के खसरा नम्बर 5157 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, सम्पूर्ण में वादी का 1/2 हिस्सा का मीट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर विधिक विभाजन किया जाकर वादी का खाता व लगान अलग से कायम किया जावें तथा इसी अनुसार राजस्व नक्शे में तरमीम करने का आदेश फरमाया जावें एवं बाद विभाजन प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से प्रतिबंधित किया जावें कि वे भूमि वादग्रस्त पर वादी के हिस्से कब्जे काश्त व खाते की भूमि पर वादी के कब्जे काश्त व उसके उपयोग उपभोग में किसी प्रकार का हस्तक्षेप, न करे न ही बैचान हस्तान्तरण करें, कच्चा पक्का निर्माण नहीं करें, बाधा न स्वयं करे न अपने एजेन्ट सर्वेन्ट व परिवारजन आदि से करावें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में प्रतिवादीगण बाद तामील व सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई एवं प्रकरण में दिनांक 25.07.2024 को प्राथमिक डिक्री जारी की गई व तहसीलदार शाहपुरा को कुर्रेजात रिपोर्ट भिजवाने बाबत् निर्देशित किया गया। प्रकरण में तहसीलदार शाहपुरा के पत्रांक/भू0अ0/2024/4091 दिनांक 30.08.2024 के द्वारा कुर्रेजात रिपोर्ट प्राप्त हुई। प्राप्त कुर्रेजात रिपोर्ट का वकील वादी द्वारा अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत कुर्रेजात रिपोर्ट पर कोई आपति पेश नहीं कर मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट दावा अंतिम डिक्री किया जाने हेतु निवेदन किया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। बंटवारा/कुर्रेजात रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट सही होने से प्रकरण को कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना उचित समझते है।

आदेश

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता। हाल खाता संख्या 192 के खसरा नम्बर 5157 रकबा 0.4300

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

हैक्टेयर, ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला, भू–अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है :–

1. गुरमा पुत्री समदाराम हि0 1/17 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, पतासी पुत्री समदाराम हि0 1/17 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, बाबूलाल पुत्र समदाराम हि0 1/17 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, भूंगी पुत्री समदाराम हि0 1/17 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मन्नी पुत्री समदाराम हि0 1/17 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सजना पुत्री समदाराम हि0 1/17 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, समरती पत्नी समदाराम हि0 1/17 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5157/2 रकबा 0.2150 है0 किता 1 कुल रकबा 0.2150 है0 भूमि रहेगी।
2. भागीरथ पूनिया पुत्र गोकूराम पूनिया जाति जाट सम्पूर्ण हिस्सा, ए 51 हनुमाननगर खातीपुरा जयपुर खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5157/1 रकबा 0.2150 है0 किता 1 कुल रकबा 0.2150 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादी/प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दर्ज नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 30/8/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(अशोक कुमार)
सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जयपुर, ग्रामीण

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)

प्रपत्र – 6

न्यायालय सहायक कलक्टर(फास्ट–ट्रैक) शाहपुरा जिला जयपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अशोक कुमार, आर ए एस
वाद संख्या :– 99/2023

शीर्षक

1. भागीरथ पूनिया पुत्र गोदूराम पूनिया जाति जाट उम्र 76 वर्ष निवासी ए 51, हनुमान नगर खातीपुरा, जयपुर।

–वादी

बनाम

1. गुरमी देवी पुत्री समदाराम
2. पतासी पुत्री समदाराम
3. संज्या पत्नी बाबूलाल
4. मूंगीदेवी पुत्री समदाराम
5. मन्नी देवी पुत्री समदाराम
6. सजना देवी पुत्री समदाराम
7. समरती देवी पत्नी समदाराम

   समस्त जाति गुर्जर निवासी टोडी तह0 शाहपुरा, जिला जयपुर।
8. राजस्थान सरकार (भू–धारक) जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा धारा अनतर्गत 53, 188 आरटीएक्ट

निर्णय दिनांक 30/8/24

उपर्युक्त विवेचनों के फलस्वरूप वादी का वाद कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता। हाल खाता संख्या 192 के खसरा नम्बर 5157 रकबा 0.4300 हैक्टेयर, ग्राम टोडी पटवार हल्का उदावाला, भू–अभिलेख निरीक्षक मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर के खातेदारान के मध्य बंटवारा कर पृथक–पृथक खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है –

1. गुरमा पुत्री समदाराम हि0 1/17 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, पतासी पुत्री समदाराम हि0 1/17 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, बाबूलाल पुत्र समदाराम हि0 1/17 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मूंगी पुत्री समदाराम हि0 1/17 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, मन्नी पुत्री समदाराम हि0 1/17 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, सजना पुत्री समदाराम हि0 1/17 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार, समरती पत्नी

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर)

समदाराम हि0 1/17 जाति गुर्जर सा0 देह खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5157/2 रकबा 0.2150 है0 किता 1 कुल रकबा 0.2150 है0 भूमि रहेगी।

2. भागीरथ पूनिया पुत्र गोदूराम पूनिया जाति जाट सम्पूर्ण हिस्सा, ए 51 हनुमाननगर खातीपुरा जयपुर खातेदार के हिस्से में आराजी खसरा नंबर 5157/1 रकबा 0.2150 है0 किता 1 कुल रकबा 0.2150 है0 भूमि रहेगी।

तहसीलदार शाहपुरा से प्राप्त बंटवारा कुर्रेजात रिपोर्ट व नक्सा ट्रेस निर्णय का जुज रहेगा। तदानुसर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु तहसीलदार शाहपुरा को लिखा जावें। वादीगण /प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वे एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी तरह मजाहमत एवं दखलन्दाजी पैदा नहीं करें । पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो।

निर्णय व डिक्री आज दिनांक 30/8/2024 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा द्वारा जारी की गई।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(अशोक कुमार)
सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
शाहपुरा जयपुर, ग्रामीण

वाद के खर्चे

वादी	रुपया	प्रतिवादी	रुपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल	/	शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	/
जोड़		जोड़	